



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दुष्कर्म के अभियुक्त को हुयी 14 वर्ष की सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना तालगांव से सम्बन्धित मु0अ0स0 181/14 धारा 363/366/368/376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम शानू पुत्र अलीशेर निवासी कस्बा व थाना तालगांव जनपद सीतापुर में तालगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 15.02.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय श्रीमान ए.एस.जे-15 सीतापुर द्वारा अभियुक्त शानू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363/366/368/376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट में 14 वर्ष सश्रम कारवास एवं 10,000/-रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

